न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– गोपाल परिहार, RAS

राजस्व मूल वाद सं. :–63/2018

वादीगण :–

1. चैनाराम पुत्र श्री गोकुलराम,
2. मोडाराम पुत्र श्री अचलाराम,
3. सुमेरराम पुत्र स्व. श्री हरिरामजी,
   जातियान जाट, निवासीगण ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

1. ललित जैन पुत्र श्री पारसमल जैन
2. कल्पना जैन पत्नि श्री ललित जैन
3. सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री हरचन्द
4. सरोज जैन पुत्र श्री रमेश जैन
   जातियान् जैन, निवासीगण 11, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर।
5. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा

प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र मेहता

प्रतिवादी सं. 5 की ओर से .....

प्रतिवादी सं. 6 की ओर से राजकीय पैराकार

निर्णय

दिनांक 27/9/2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इन तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादी सं. 1 के खातेदरी की कृषि भूमि खसरा नं. 123/1 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा, वादी सं. 2 के खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नं. 123 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 128 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 129 रकबा 03 बिस्वा तथा वादी सं. 3 के खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नं. 130 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं. 132 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आयी हुई है, जिन भूमियो के पडौस मे ही प्रतिवादी सं. 2 से 4 की खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नं. 134/2 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 3 बिश्वांसी, खसरा नं. 134/3 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी, तथा खसरा नं. 135 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा 17 बिश्वांसी एवं प्रतिवादी सं. 5 के नाम से सरकारी खसरा नं. 136 रकबा 89 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। आगे अभिवचन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 ने खसरा नं. 134/1, खसरा नं. 134 तथा खसरा नं. 135/2 कुल रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा भूमि की एक प्लानिंग बनाकर मैसर्स स्टेनलेस इण्डिया लि. तनावडा जोधपुर से बेनाम सम्पति खरीद कर उस पर औघोंगिक योजना उघोग नगर का नाम देकर उसके सारे भूखण्ड बेच दिये तथा इन भूखण्डो के आस पास जो राजस्व नक्शे मे प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम की जो खसरा नं 134/2, 134/3 तथा 135 की भूमियां दर्शायी हुई है वह वास्तव मे मौके पर नक्शे अनुसार है ही नही एवं इन भूमियो प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उघोग नगर की फेसिलिटी ऐरिया एवं ऑपन ऐरिया के रूप मे दिखाकर उघोग नगर के भूखण्डो का विधान किया गया एवं बाद मे अवैध रूप से इन भूमियो को प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 को विधान कर दिया गया। खसरा नं. 134/1 की सडक तथा खसरा नं. 134/2 के पडौस मे सरकारी खसरा नं. 136 आया हुआ है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से करीब 4 से 5 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है एवं मौके पर सडक एवं हत्थो का निर्माण कर लिया है एवं अब वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमियों को अपने कब्जे मे लेकर मौके पर निर्माण कार्य करने की नियत से निर्माण सामग्री डलवा दी है एवं निर्माण करने की फिराक मे है। दिनांक 25.10.2018 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ठेकेदार को वादीगण की भूमियो के अन्दर निर्माण हेतु भूमिया दिखाई तब वादीगण ने उन्हे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

नसीहत दी किन्तु प्रवितादी सं. 1 ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि वह खसरा नं. 136 की तरह तुम्हारी भूमि को भी खसरा नं. 134/2 की भूमि दिखाकर बैच दूंगा। आगे अभिवचन किया गया कि वादीगण की कृषि भूमियो के पश्चिम दिशा मे लगभग 100 फुट चौडा रास्ता आज भी विघमान है उस रास्ते के तरफ वादीगण की भूमि के अन्दर पक्के पेड लगे है किन्तु प्रतिवादीगण उस रास्ते को खसरा नं. 134/2 की भूमि दर्शाकर बैचान करने पर उतारू है जबकि रास्ते की भूमि को बैचान अथवा अवरूद्ध नही किया जा सकता है एवं यह रास्ता विवेक विहार से शुरू होकर भाकरासनी गांव तक जाता है जो तीन गांवो सांगरिया, तनावडा व भाकरासनी को जोडने वाला रास्ता है एवं पारम्परिक काल से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने इस रास्ते पर कई पेड कटवा दिये है एवं शेष पेडो को भी कटवाने की फिराक मे है। खसरा नं. 134 व 135 की जो भूमि बचती है वह किसी भी खातेदार की पर्सनल भूमि नही है बल्कि वह फैसिलिटी एरिया व ओपन ऐरिया हेतु छोडी हुई भूमि है जिसे प्रतिवादी सं. 1 आगे बैचान करने की फिराक मे है जिस हेतु जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था किन्तु प्रतिवादीगण बहुत उंची पहुच के होने के कारण उनके द्वारा अपर जिला कलेक्टर के सीमांकन के आदेश को भी दबाकर रखवा दिया है। चूंकि खसरा नं. 136 प्रतिवादी सं. 6 के खातेदारी मे दर्ज है एवं उसके द्वारा इस भमि को बचाने हेतु कोई कार्यवाही नही की जा रही है जिस कारण वादीगण इस भूमि की रक्षा के लिए भी यह वाद प्रस्तुत कर रहे है। आगे बिनाय दावा दिनांक 25.10.2018 को पैदा होना लिखते हुए इस्तदुआ चाही गयी है कि खसरा नं. 130, 132, 123/1, 123, 128 व खसरा नं. 129 की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे एवं वादीगण को बेदखल नही करे एवं इन खसरो के पश्चिमी दिशा मे स्थित 100 फुट रास्ता व हरित पट्टिका है उसे प्रतिवादीगण क्षतिग्रस्त नही करे एवं वादीगण के खसरान की भूमियो के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण दखल अंदाजी नही करे।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की ओर से अपना वादोत्तर प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का खण्ड किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की ओर से अपने वादोत्तर मे यह अभिवचन किये गये कि वादीगण के खातेदारी की भूमियो की प्रतिवादीगण को जानकारी नही है। पद सं. मे वर्णित प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 की भूमियां प्रतिवादीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमियां है जिन पर वह बहैसियत खातेदार के काबिज है एवं उसक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अलग अलग खातेदारी की भूमियों के लिए अलग अलग खातेदार एक ही वाद नही ला सकते है। वादीगण उघोग नगर के ना तो निवासी है एवं ही उनका वहां पर कोई भूखण्ड है। प्रतिवादीगण सभी अलग अलग खसरो के खातेदार है जिस कारण उनके विरूद्ध एक ही वाद ला सकने का भी वादीगण को अधिकार नही है। प्रतिवादी सं. 1 वेनामी सम्पति की खरीद फरोख्त का कार्य नही करता है ना ही प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उघोग नगर नाम से कोई योजना बनाई एवं ना ही इसके किसी भूखण्ड का बैचान किया है। प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 ने अलग अलग समय पर स्टेनलेस इण्डिया से अलग अलग पंजीबद्ध बैचाननामो से उसकी रेकर्डेड खातेदारी की भूमि विधिवत रूप से प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की है, जो सभी भूमियां कृषि भूमियां है एवं इन भूमियों की राजस्व रेकर्ड मे अलग से तरमीम भी हो रखी है, जिस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विधिवत रूप से निष्पादित बैचाननामो को रद्द करवाये बिना इस वाद मे किसी तरह का कोई आक्षेप लगा सकने का अधिकार नही है। वास्तव मे मैसर्स मुरलेश स्टील्स प्राईवेट लि. द्वारा अलग अलग खातेदरान से खसरा नं. 134/1, 134, 135, 135/1, तथा 133 कुल खसरान 5 कुल रकबा 54 बीघा 18 बिस्वा भूमियां ग्राम तनावडा की खरीद की गई थी जिसमे से 24 बीघा 14 बिस्वा भूमि को लीज प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को समर्पण कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूमियां मैसर्स स्टेनलेस इण्डिया लि. मे समाहित हो गयी, जिसके द्वारा उक्त समस्त 54 बीघा 18 बिस्वा भूमि के चारो ओर 1996 मे ही चार दिवारी बना दी थी जो आज दिन तक कायम है एवं उक्त चार दिवारी के भीतर ही उघोग नगर एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 को बैचान की गई भूमि आयी हुई है। स्टेनलेस इण्डिया द्वारा 54 बीघा 18 बिस्वा मे से 35 बीघा 19 बिस्वा 12 बिश्वांसी भूमियां उघोग नगर हेतु राज्य सरकार मे समर्पित की गई, जिन पर ही उघोग नगर के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

भूखण्ड तथा सडके इत्यादि की सुविधाए बनाई गयी है। जो भूमियां राज्य सरकार को समर्पित की गई तथा जो भूमियां स्टेनलेस इण्डिया के पास शेष रही उन सभी की राजस्व रेकर्ड मे तरमीम हो रखी है एवं जो भूमियां स्टेनलेस इण्डिया के पास उघोग नगर हेतु भूमि समर्पित करने के पश्चात् शेष रही थी उन्हे उसके द्वारा प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 को जरिये बैचाननामे के बैचान की गई है एवं उक्त भूमियां कभी भी उघोग नगर की भूमियो नही रही है एवं यह बात उघोग नगर योजना के बाबत् बनाये गये नक्शे से भी सिद्ध होती है जिसमे इन भूमियों को फेसिलिटी ऐरिया की भूमि ना दर्शाते हुए अन्य भूमियो के नाम से दर्शाया गया है। यह सर्वथा गलत है कि मौके पर खसरा नं. 135, 134/2, 134/3 नक्शे अनुसार उपलब्ध हो बल्कि मौके पर उपरोक्त भूमियां राजस्व रेकर्ड के अनुसार ही मौके पर उपलब्ध है जिन पर प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 काबिज है। यह गलत है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सरकारी भूमि खसरा नं. 136 की 4–5 बीघा भूमि को दबाकर उस पर सडक तथा हत्थे का निर्माण करवा लिया हो। स्टेनलेस इण्डिया द्वारा सन् 1996 मे ही 54 बीघा 18 बिस्वा भूमि के चारो ओर हत्था करवा लिया था किन्तु आज तक वादीगण तक अथवा अन्य किसी के द्वारा कोई एतराज नही किया गया। यह सर्वथा गलत है कि प्रतिवादीगण के रकबा कम होने से वह वादीगण की भूमि हडप करना चाहते हो। वैसे भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य सन् 1996 से ही दीवार बनी हुई है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि मे निर्माण कार्य करवा पाना संभव नही है। वादीगण की भूमियो के पश्चिमी दिशा की ओर स्टेनलेस इण्डिया द्वारा बनायी गयी दिवार एवं उसके पश्चात् प्रतिवादीगण के खातेदारी का खसरा नं. 134/2 है एवं उसके पश्चिम मे उघोग नगर हेतु समर्पित भूमि मे से छोडी गयी सडक स्थित है जो कि 60 फुट चोडी है। खसरा नं. 134/2 मौके एवं रेकर्ड मे कही भी रास्ते की भूमि के रूप मे उल्लेखित नही है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्शित किसी भी रास्ते की भूमि का कोई बैचान नही किया जा रहा है एवं ना ही कोई रास्ता अवरूद्ध किया जा रहा है। यह सर्वथा गलत है कि उघोग नगर स्थित उक्त रास्ता तीन गांवो को जोडने वाला रास्ता हो। विवेक विहार से चालू होकर आने वाला रास्ता खसरा नं. 136 मे से होता हुआ खसरा नं. 134/2 के उत्तर की तरफ आता है जहां पर यह उघोग नगर में आवागमन हेतु समर्पित रास्ते की भूमि से मिल जाता है। किन्तु उघोग नगर के दक्षिणी दिशा मे जोजरी नदी स्थित होने के कारण यह रास्ता उघोग नगर मे ही समाप्त हो जाता है। पेड प्रतिवादी सं. 3 के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 134/2 में लगे हुए है जिन्हे प्रतिवादी सं. 3 अपनी इच्छानुसार एवं नियमानुसार उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। वादीगण का यह वाद स्टेनलेस इण्डिया को पक्षकार बनाये बिना मिस जोईण्डर आफॅ पार्टी के कारण निरस्त योग्य है क्योकि सम्पूर्ण उघोग नगर स्टेनलेस इण्डिया द्वारा बसाया गया है। प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमियां उघोग नगर की फेसिलिटी व ओपन एरिया की भूमियां नही होकर उघोग नगर में समर्पण के पश्चात शेष रही कृषि भूमियां है। वादीगण को सरकारी भूमि खसरा नं. 136 के बाबत वाद ला सकने का कोई अधिकार नही है एवं ऐसा वाद मात्र आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस कारण भी वाद वादीगण निरस्त योग्य है। इस तरह वादोत्तर प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 द्वारा वादीगण का वाद सव्यय निरस्त करने हेतु तथा प्रतिवादीगण को वादीगण से 50000/– रूपये कम्पेनसेटरी कॉस्ट के दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र एवं वादोत्तर के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम किये गये :–

1. आया वादीगण वादग्रस्त खसरा सं. 130, 132, 123/1,126 तथा 129 ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद आदि द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण के खसरो के पश्चिम दिशा की तरफ 100 फुट रास्ता व हरित पटिट्का आयी हुई है तथा वादीगण इसके बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र अनुसार निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

3. आया वादी खसरा नम्बर 136 ग्राम तनावडा के बाबत् राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के विरूद्ध उक्त खसरा की भूमि के बाबत् वादपत्र अनुसार निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादीगण
4. आया वादीगण खसरा नम्बर 136 की भूमि पर से प्रतिवादीगण के किसी अतिक्रमण को हटवाने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
5. आया वाद वादीगण मिस जोईण्डर तथा नॉन जोईण्डर के आधार पर निरस्त योग्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण
6. आया वादीगण के खसरा नं. 136 ग्राम तनावडा के बाबत् सरकारी भूमि होने के कारण बिना आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के वाद लाने का अधिकारी नही है। जिम्मे प्रतिवादी
7. आया प्रतिवादीगण वाद से 50000 रूपये कम्पेनसेटरी कॉस्ट प्राप्त करने का अधिकार है। जिम्मे प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य मे पी डबलू 1 के रूप मे सुमेरराम पुत्र हरिराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी गवाह जिरह हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 05.07.2022 को वादी की साक्ष्य का अधिकार बंद कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण द्वारा भी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत की गई एवं अपनी साक्ष्य बंद करवायी गयी। बहस अंतिम सुनी गयी। वादपत्र एवं वादोत्तर के आधार पर विरचित की गई तनकियात का निम्नानुसार निर्णय किया जाता है :–

**तनकी सं. 1 व 2**

उपरोक्त दोनो तनकियात मे विवाद विषय एक होने से तथ्यो की पुनरावृति नही करने के उद्देश्य से दोनो तनकियात का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध मे वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे यह अभिवचन किये है कि खसरान् सं. 130, 132, 123/1, 126 तथा 129 ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे वादीगण के खातेदारी के कृषि भूमियां आयी हुई है जिनके पश्चिम दिशा की ओर 100 फुट चौडा रास्ता तथा हरित पट्टिका आयी हुई है जिन पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 अवैध रूप से कब्जा करते हुए वहां से पेड काट रहे है एवं वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे है। इसके प्रतिउत्तर में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 द्वारा अभिवचन किया गया है कि उनकी भूमि मूल खसरा नं. 134 व 135 का भाग है एवं खसरा नं. 134 व 135 के चारो ओर 1996 मे ही चारदिवारी कर दी गई थी एवं बाद मे उनका आपस मे विभाजन होने पर एवं कुछ भूमि राज्य सरकार में समर्पण करने के पश्चात् शेष रही भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा स्टेनलेस इण्डिया लि. से खरीद किया गया है एवं इन समस्त खसरान् की राजस्व नक्शे एवं मौके पर विधिवत रूप से तरमीम हो रखी है जिसके अनुसार ही प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर काबिज है। उपरोक्त तनकी के संबंध मे पत्रावली पर वादीगण की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे वादीगण यह साबित नही कर पाये है कि क्या वास्तव मे प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 द्वारा वादीगण के खातेदारी की भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहे है अथवा नही। इस वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे न्यायालय द्वारा तहसीलदार लूणी से तलब की गई मौके की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह तथ्य ध्यान मे आता है कि खसरा सं. 135/1, 134 तथा 134/1 मे उद्योग नगर नाम से कुल 24 बीघा 14 बिस्वा का समर्पण राज्य सरकार मे किया हुआ है। इसी प्रकार शेष भूमि खसरा नं. 133, 134/3, 134/2, तथा 135 कुल रकबा 30 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे से 11 बीघा 5 बिस्वा 12 बिश्वांसी भूमि राज्य सरकार को रास्ता हेतु समर्पण की हुई है तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त रिपोर्ट से यह भी दर्शित होता है कि खसरा नं. 135/1, 134 तथा 134/1 के स्वीकृत मानचित्र मे दर्शाये अनुसार ऑपन ऐरिया एवं फेसिलिटी एरिया मौके पर छोडे हुए है एवं मूल खसरा नं. 134 तथा 135 के चारो ओर चार दिवारी बनी हुई है। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण एवं वादीगण की भूमियो के मध्य चारदिवारी बनी हुई है। जिस कारण वादीगण का यह तथ्य की

~~सहायक कलक्टर एवं~~ उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रतिवादीगण उनकी भूमि मे अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है किसी भी रूप से साबित नही होता है। इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो एवं मौका रिपोर्ट से वादीगण उक्त तनकियात स्वयं के पक्ष मे सिद्ध करने में असफल रहे है जिस कारण उपरोक्त दोनो तनकियात वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी सं. 3 व 5 :–**

उपरोक्त दोनो तनकियात भी समान तथ्यो पर आधारित होने के कारण तथ्यो की पुनरावृति रोकने के लिए इन दोनो को साथ ही निर्णित किया जा रहा है। तनकी सं. 3 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था किन्तु उनके द्वारा इस तनकी के संबंध मे कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 136 राज्य सरकार के खातेदारी की भूमि है जो वर्तमान मे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के खाते मे दर्ज है। ऐसी स्थिति मे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के खातेदार को ही अपनी खातेदारी की भूमि के बाबत् निषेधाज्ञा हेतु वाद ला सकने का प्रावधान दिया हुआ है। स्वीकृत रूप से यह खसरा प्रतिवादी सं. 4 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण इस खसरा के खातेदार नही है। ऐसी स्थिति में विधिनुसार वादीगण को स्वंय की खातेदारी के अलावा अन्य व्यक्ति की खातेदारी की भूमि के बाबत् निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकने का अधिकार प्राप्त नही है। इस संबंध मे प्रतिवादीगण का कथन है कि अगर वादीगण सरकारी भूमि के बाबत् लोक हितार्थ वाद लाना चाहते है तो उन्हे आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के प्रावधानो के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक हितार्थ वाद लाने हेतु आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. मे स्पष्ट प्रावधान दिये हुए है जिसका वादीगण द्वारा पालन नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे तनकी सं. 3 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है जबकि तनकी सं. 5 प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पक्ष मे तय की जाती है।

**तनकी सं. 4**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध मे किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

**तनकी सं. 6**

इस तनकी को भी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध मे किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं के जिम्मे की तनकियात सं. 1 से 3 साबित करने मे असफल रहे है जिस कारण वादी का वाद खारिज किया जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः–वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(गोपाल परिहार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 12.1.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

# डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
## (आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
## अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.
## राजस्व वाद संख्या : 63/2018

| वदीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 01.चैनाराम पुत्र श्री गोकुलराम,<br>02.मोडाराम पुत्र श्री अचलाराम,<br>03.सुमेररराम पुत्र स्व. श्री हरिरामजी,<br>जातियान जाट, निवासीगण ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर। | | 01.ललित जैन पुत्र श्री पारसमल जैन<br>02.कल्पना जैन पत्नि श्री ललित जैन<br>03.सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री हरचन्द<br>04.सरोज जैन पुत्र श्री रमेश जैन<br>जातियान् जैन, निवासीगण 11, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर।<br>05.जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव<br>06.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर। |

दावा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 63/2018 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेंज से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है वादीगण का वाद खारिज किया जाता है खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे।

नीज.....गुवलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....

.....को अदा करें।

वसीदा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 27/9/2022 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

| मुद्धाई | रूपया | पै. | मुद्धायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प | | | स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प | | |
| वकालतनामा | | | वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महनताना वकील | | | महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान | | | बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान | | |

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner